रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1436] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/ आषाढ़ 15, 1937
No. 1436] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ ASHADHA 15, 1937

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2015

**का. आ. 1821(अ)**.—केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 29 जनवरी, 2015 में प्रकाशित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 279 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, अमलसाड ग्राम के सामने स्तम्भ (7) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 230 के अन्तर्गत "0.3709 को 0.5898" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(2) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 129 के अन्तर्गत "0.3341 को 0.6202" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(3) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 15 के अन्तर्गत "0.0619 को 0.0842" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(4) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 164 के अन्तर्गत "0.8008 को 0.5895" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(5) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 206 के अन्तर्गत "0.3831 को 0.2960" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(6) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 16 के अन्तर्गत "0.1547 को 0.1370" से प्रतिस्थापित किया जाए।
(7) सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या 11 के अन्तर्गत "0.4567 को 0.3777" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/643]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं–1)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2015

**S.O. 1821(E).—**In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 20E of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 279(E), dated the 28th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 29th January, 2015, namely:—

In the Schedule to the said notification and entries relating thereto against – Amalsad village, in column (7), the following shall be substituted, namely:—

(1) against Survey Number / Block Number 230 for "0.3709 substituted 0.5898".
(2) against Survey Number / Block Number 129 for "0.3341 substituted 0.6202".
(3) against Survey Number / Block Number 15 for "0.0619 substituted 0.0842".
(4) against Survey Number / Block Number 164 for "0.8008 substituted 0.5895".
(5) against Survey Number / Block Number 206 for "0.3831 substituted 0.2960".
(6) against Survey Number / Block Number 16 for "0.1547 substituted 0.1370".
(7) against Survey Number / Block Number 11 for "0.4567 substituted 0.3777" ;

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/643]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.